

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक-01/बजट-यो-703/2026- 1042 /पटना, दिनांक- 31 अगस्त, 2026
प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा०प्र०रो०
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

उप निदेशक, ईख विकास,
पूसा, समस्तीपुर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना अंतर्गत ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा, समस्तीपुर में ऊतक संवर्धन (टिशू कल्चर) प्रयोगशाला के सुदृढीकरण हेतु पाँच वर्षों के लिए कुल 92.10 लाख (बेरानबे लाख दस हजार) रुपये की योजना के क्रियान्वयन के अधीन कुल मो० 19,17,000.00 (उन्नीस लाख सतरह हजार) रुपये की आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-284 स्वी०/CC दिनांक-03.08.2026 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना अंतर्गत ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा, समस्तीपुर में ऊतक संवर्धन (टिशू कल्चर) प्रयोगशाला के सुदृढीकरण हेतु पाँच वर्षों के लिए कुल मो० 92.10 लाख (बेरानबे लाख दस हजार) रुपये की योजना के क्रियान्वयन के अधीन कुल मो० 19,17,000.00 (उन्नीस लाख सतरह हजार) रुपये की स्वीकृति दी गयी है।

उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत राशि मो० 92.10 लाख (बेरानबे लाख दस हजार) रुपये के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2026-27 (प्रथम वर्ष) में वित्त विभाग बिहार, पटना के पत्रांक-314/वि० दिनांक-01.04.2026 के आलोक में मो० 19,17,000.00 (उन्नीस लाख सतरह हजार) रुपये का आवंटन किया जा रहा है। उप निदेशक, ईख विकास, पूसा-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी श्रेणीवार आवंटित राशि के अधीन मदवार आवश्यकतानुसार राशि की निकासी कोषागार, समस्तीपुर से कर सकेंगे।

2. इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट शीर्षवार उपबंधित राशि एवं विकलनीय राशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2026-27 में निकासी हेतु आवंटित राशि (लाख रु०) (प्रथम वर्ष)
1.	सामान्य वर्ग- मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-108 वाणिज्यिक फसलें मांग संख्या-45 उप शीर्ष-0109 ईख विकास विपत्र कोड- 45-2401001080109	33 01 सब्सिडी	19.17
	योग-		19.17

3. वित्त विभाग के पत्रांक-2561 (वि०) 2 दिनांक-17.04.1998 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

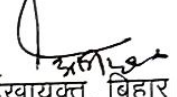
4. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-314/वि० दिनांक-01.04.2026 के आलोक में आवंटित की जा रही है।

5. आवंटित राशि जिस श्रेणी हेतु आवंटित की गयी है, उसी श्रेणी से संबंधित बजट शीर्ष से निकासी की जाएगी।

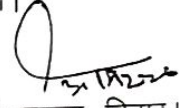
6. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. इस योजना हेतु निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या-284 स्वी०/CC दिनांक- 03.08.2026 में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में योजना का कार्यान्वयन तथा राशि का व्यय नियमानुसार किया जायगा। किसी भी प्रकार के गलत भुगतान के लिए संबंधित कार्यालय पूर्णतः जबाबदेह होंगे।

विश्वासभाजन

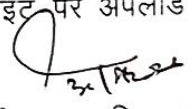

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-01/बजट-यो०-703/2026-106412 /पटना, दिनांक- 31 अगस्त, 2026
प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कुलपति, डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा (समस्तीपुर)/निदेशक, ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

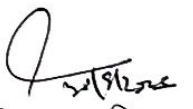

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-01/बजट-यो०-703/2026-106412 /पटना, दिनांक- 31 अगस्त, 2026
प्रतिलिपि- विशेष कार्य पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/उप निदेशक, ईख विकास, पूसा (समस्तीपुर)/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास/ सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई० टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-01/बजट-यो०-703/2026-106412 /पटना, दिनांक- 31 अगस्त, 2026
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।